पत्रांक /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः देहरादूनः फरवरी, 2012

प्रार्थना पत्र सं0 – 9165/27.12.2011
सर्वश्री डाबर लेमिनेट्स,
23/1, निरंजनपुर, देहरादून।
उपस्थिति– श्री के0एन0शर्मा अधिवक्ता फर्म।
निर्णय का दिनांक– जनवरी, 2012,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

1– सर्वश्री डाबर लेमिनेट्स 23/1, निरंजनपुर, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुए यह तथ्य रखा गया कि उक्त फर्म उपरोक्त नाम से पंजीकृत है तथा उसका टिन–05000498605 है। फर्म द्वारा मोटर पार्टस एवं मशीनरी पार्टस की खरीद बिक्री का व्यापार किया जाता है। उक्त बिक्री प्रान्त एवं केन्द्र दोनो में की जाती है। उक्त की प्रान्तीय बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है। व्यापारी द्वारा स्वनिर्मित मोटर पार्टस एवं मशीनरी पार्टस की प्रपत्र सी से की गई केन्द्रीय बिक्री पर करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) देहरादून संभाग देहरादून के पत्र संख्या 3176/ज्वा0कमि0 (कार्य0)/वा0क0/धारा–57अनु0/दे0दून/दिनांक 11.01.2012 द्वारा विभागीय मत प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि स्वनिर्मित मोटर पार्टस एवं मशीनरी पार्टस की बिना फार्म सी. से की गयी बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

3– व्यापारी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु विद्वान अधिवक्ता श्री के0एन0शर्मा उपस्थित हुए। धारा–57 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूर्ण की गई।

मेरे द्वारा दोनो पक्षों के मतों का अवलोकन किया गया। व्यापारी द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा स्वनिर्मित मोटर पार्टस एवं मशीनरी पार्टस की प्रान्तीय बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है। अतः स्वनिर्मित मोटर पार्टस एवं मशीनरी पार्टस की बिना प्रपत्र सी से की गयी केन्द्रीय बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

पटल संख्या
आवश्यक कार्यवाही करें
9151
03/2/12

तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

आदेश की एक प्रति व्यापारी को तथा एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

(डा0हेमलता ढौंडियाल)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाँऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7 .ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. डिप्टी कमि0(क0नि0)-1 वाणिज्य कर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9 बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
10. संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12 नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
15 कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
16 विधि-अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।